UPGK010021292026

न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–931/2026,
1–अखिलेश पुत्र स्व0 साधूसरन,
2–कमलेश पुत्र स्व0 रमेश,
निवासीगण–वार्ड नं0–14 ज्ञानचक्षुनगर, थाना पीपीगंज, जनपद गोरखपुर।

..... आवेदकगण/अभियुक्तगण,

प्रति
उत्तर प्रदेश राज्य

प्रतिपक्षी,

अपराध संख्या–75/2026
धारा–103(1) भारतीय न्याय संहिता
थाना–पीपीगंज, जनपद– गोरखपुर।

आदेश

नियमित जमानत का यह प्रार्थना–पत्र आवेदकगण/अभियुक्तगण अखिलेश व कमलेश, जो अपराध संख्या–75/2026 धारा–103(1) भारतीय न्याय संहिता थाना–पीपीगंज, जनपद– गोरखपुर के अन्तर्गत न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है, के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

2– अभियोजन कथनानुसार दिनांक 02.03.2026 को समय लगभग दो बजे दिन में अखिलेश व कमलेश अपनी मोटरसाईकिल से वादिनी मुकदमा सीमा देवी के घर आये और वादिनी के पति शैलेश को बुलाकर अपने साथ ले गये तथा सैनिक मोबाईल शाप, थाना रोड पीपीगंज पर रीमा देवी पत्नी बिहारी मौजूद थी। वहॉ पर तीनों लोग वादिनी के पति से विवाद करने लगे तथा वादिनी के पति की हत्या करने की नीयत से जबरदस्ती मोटरसाईकिल पर बैठा कर नया टोल प्लाजा जंगल कौड़िया से आगे वाटर पार्क की तरफ ले जाकर मारने–पीटने लगे। इसी बीच प्राईवेट साधन से रीमा देवी गोरखपुर सोनौली मार्ग से उतर कर दौड़ती हुई पहुॅची और कहने लगी कि अब यह मिल गया है अब जान से मार दो। इतनी बात सुनते ही वादिनी के पति नदी की तरफ भागने लगे। नदी के पास पहुॅचे ही थे कि तभी उक्त तीनों लोगों द्वारा वादिनी के पति को पकड़ लिया गया तथा मार–पीट कर नदी में डूबो दिया गया। गोरखपुर से आ रहे शिव प्रकाश व ओम प्रकाश ने रीमा देवी, अखिलेश तथा कमलेश को नदी की तरफ देखा तो यह लोग घटनास्थल पर पहुॅचे और उक्त तीनों लोगों द्वारा शैलेश को मार कर डुबोते हुए देखा।

3– आवेदकगण/अभियुक्तगण के द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र में यह आधार लिया गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण सर्वथा निर्दोष व निरपराध हैं। आवेदकगण की मृतक से कोई पुरानी रंजिश नहीं है केवल पंचायत चुनाव नजदीक आने के कारण आवेदकगण को रंजिशन इस मुकदमें में फंसा दिया गया है। मृतक शैलेश की पत्नी बदचलन थी तथा दिनांक 02.03.2026 को गॉव में होलजी के सम्मत जलाने के समय रात में मृतक द्वारा अपनी पत्नी को किसी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखकर क्षुब्ध होकर मृतक द्वारा स्वयं नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली गई। पीपीगज कस्बे से मृतक को आवेदकगण को अंतिम समय ले जाते हुए भी किसी वयक्ति के द्वारा नहीं देखा गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदकगण द्वारा मृतक की हत्या करने का कोई हेतुक नहीं बताया गया है। समाचार पत्रों के खबर के अनुसार भी मृतक द्वारा किसी महिला से कोई अश्लील वीडियो सम्बन्धित विवाद होने के बाद स्वयं नदी में कूदकर जान देने की बात प्रकाशित की गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज कराई गई है। आवेदकगण का कोई

आपराधिक इतिहास नहीं है। इन समस्त आधारों पर उनके द्वारा आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

4– उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने जमानत प्रार्थना–पत्र का प्रबल विरोध एवं खण्डन करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि कथित घटना की तिथि को आवेदकगण/अभियुक्तगण व अन्य सह अभियुक्त के द्वारा वादिनी मुकदमा के पति को नदी में डुबा कर उसकी मृत्यु कारित की गई है। कथित अपराध में आवेदकगण/अभियुक्तगण की सक्रिय भूमिका रही है। तद्नुसार उन्होंने अपराध की गम्भीरता एवं आवेदकगण/अभियुक्तगण की भूमिका को देखते हुए जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

5– मैंने जमानत प्रार्थना–पत्र पर आवेदकगण/अभियुक्तगण को वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के विद्वतापूर्ण तर्को को विस्तारपूर्वक सुना तथा प्रपत्रों का परिशीलन किया।

6– अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। वर्तमान मामले में आवेदकगण/अभियुक्तगण पर अन्य सह अभियुक्त के साथ मिलकर कथित घटना की तिथि, समय व स्थान पर वादिनी मुकदमा के पति को नदी में डूबो कर उसकी मृत्यु कारित करने का गम्भीर अभियोग लगाया गया है। केस डायरी में विवेचक द्वारा चश्मदीद साक्षी ओम प्रकाश यादव का बयान अन्तर्गत धारा–180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दर्ज किया गया है जिसमें इस साक्षी ने कथन किया है कि दिनांक 02.03.2026 को शाम के समय जब वह गोरखपुर की तरफ से आ रहा था तो देखा कि उसके ही गांव का रहने वाला शैलेश तेजी से दौड़ते हुए रोहिणी नदी की तरफ भाग रहा था तथा पीछे से दो व्यक्ति अखिलेश तथा कमलेश एवं एक महिला रीमा देवी ये तीनों लोग शैलेश को दौड़ा रहे थे, फिर ये तीनों लोग उसे पकड़ कर मारे–पीटे तथा शैलेश की हत्या करने की नीयत से शैलेश को रोहिणी नदी में फेंक दिये ताकि वह डुबकर मर जाये फिर पुलिस आयी थी तथा नदी से शैलेश की लाश बरामद हुई थी। अन्त्य परीक्षण आख्या में चिकित्सक द्वारा मृतक की मृत्यु का कारण डुबने के परिणामस्वरूप सदमा से होना बताया गया है। इस स्तर पर आवेदकगण/अभियुक्तगण को प्रश्नगत घटना में मिथ्यारोपित किये जाने का कोई ठोस एवं न्यायोचित आधार विद्यमान नहीं है। आवेदकगण/अभियुक्तगण की तरफ से प्रस्तुत तर्क एवं बचाव में अभिकथित तथ्य साक्ष्य एवं विचारण का विषय है। विवेचना अभी प्रचलित है तथा साक्ष्य संग्रह की कार्यवाही शेष है।

7– अतएव मामले के गुण–दोष पर अपनी कोई राय व्यक्त किये बिना, इस मामले के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों, अपराध की गम्भीरता तथा आवेदकगण/अभियुक्तगण की कथित अपराध में भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का कोई ठोस एवं न्यायोचित आधार विद्यमान नहीं है।

8– निष्कर्षतः आवेदकगण/अभियुक्तगण अलिखेश व कमलेश की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O.Code No. 1889

दिनांक–11.03.2026

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.03.11 15:48:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court